# राजस्थान उच्च न्यायाल, जोधपुर पीठ

एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 4211/2022

शैलेन्द्र भाकर पुत्र कालूराम, उम्र करीब 23 वर्ष, बी/सी जाट निवासी बासनिया खारिया ग्राम पंचायत पालड़ी सिधा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर राजस्थान

**----याचिकाकर्ता**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार, पीपी के माध्यम से
2. श्रीमती सुशीला लासारण पुत्री सुरजाराम सारण, गांव कुडी तहसील भोपालगढ़ वर्तमान में प्लॉट संख्या 17 खसरा संख्या 56 हेमू का हत्था चुंगी नाका के अंदर अजमेर रोड जोधपुर में रहती है

**----प्रत्यर्थीगण**

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से श्री आई.आर. चौधरी

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से श्री मूल सिंह भाटी, पी.पी

**न्यायमूर्ति दिनेश मेहता**

**आदेश**

**रिपोर्ट करने योग्य**

**15/09/2022**

1. आपराधिक प्रक्रिया संहिता (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित) की धारा 482 के तहत प्रस्तुत त्वरित याचिका में विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट संख्या 2, जोधपुर मेट्रोपॉलिटन (इसके बाद "ट्रायल कोर्ट ) के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित दिनांक 29.08.2018 के आदेश को चुनौती दी गई है। जिसके तहत, याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और 494 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए गए हैं।

2. सटीक रूप से बताए गए तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2 - शिकायतकर्ता ने संहिता की धारा 156 (3) के तहत सक्षम अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज की और आरोप लगाया कि उसे परेशान करने के अलावा, याचिकाकर्ता ने लीला पुत्री मांगीलाल निवासी ग्राम कोषाणा के साथ 07.05.2017 को दूसरी शादी कर ली है।

3. आरोप-पत्र दायर होने के बाद, याचिकाकर्ता के खिलाफ संज्ञान लिया गया, जिसके बाद, 29.08.2018 के आदेश के अनुसार, निचली अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ निम्नलिखित आरोप तय किए;

> (ख) प्रथम:- आपके विरूद्ध आरोप है कि आपने परिवादीया सुशीला सारण से दिनांक 14.06.2014 को विवाह होने के कुछ समय पश्चात् से ही परिवादीया सुशीला के पति की हैसियत से उसके साथ विभिन्न समय पर विवाह में कम दहेज का ताना देकर तंग व परेशान कर उसके प्रति शारीरिक व मानसिक क्रूरता की। इस प्रकार आपने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए के अधीन दण्डनीय अपराध किया, जो मेरे प्रसंज्ञान में है।
>
> (द्वितीय):- आपके विरूद्ध आरोप हैं कि आपने परिवादीया सुशीला के साथ विवाह होने के पश्चात् अपनी पत्नी सुशीला के जीवित रहते हुए किसी अन्य महिला से विवाह किया। इस प्रकार आपने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 के अधीन दण्डनीय अपराध किया, जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

4. उपरोक्त आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने संहिता की धारा 397 के तहत एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (महिला अत्याचार मामले), जोधपुर मेट्रो, जोधपुर (इसके बाद 'पुनरीक्षण न्यायालय' के रूप में जाना जाएगा) की अदालत ने 21.04.2022 के आदेश के अनुसार अपास्त कर दिया। अन्य बातों के साथ-साथ यह देखते हुए कि आरोप तय करते समय, न्यायालय को रिकॉर्ड पर उपलब्ध प्रथम दृष्टया सामग्री और अपराध होने की संभावना को देखना आवश्यक है।

5. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चौधरी ने मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने के संबंध में दो तर्क दिए।

6. सबसे पहले, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि न तो महिला थाना, जोधपुर पूर्व के पुलिस स्टेशन के पास मामले की जांच करने का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार था और न ही जोधपुर की अदालत के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले की

सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार था। क्योंकि, शिकायतकर्ता के आरोपों के अनुसार, चूंकि याचिकाकर्ता की दूसरी शादी ग्राम कोषाना, तहसील भोपालगढ़ में हुई थी, इसलिए अपराध (यदि कोई हो) की जांच का अधिकार क्षेत्र पुलिस स्टेशन भोपालगढ़ का है।

7. श्री चौधरी द्वारा किया गया दूसरा तर्क यह था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराध को केवल तभी सिद्ध किया जा सकता है, जब शिकायतकर्ता दलील देता है और सिद्ध करता है कि सप्तपदी कब और कहाँ संपन्न/संपन्न हुई थी। उन्होंने तर्क दिया कि आरोप-पत्र में या जांच अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयान में ऐसे साक्ष्यों की अनुपस्थिति में, निचली अदालत द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत दंडनीय अपराध के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ संज्ञान लेना उचित नहीं था।

8. उपरोक्त अपने तर्कों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया: -

*(i)* विजय गुप्ता एवं अन्य बनाम. दीक्षा शर्मा और अन्य [सीआरएम (एम) 893/2021 निर्णय 01.09.2022];

*(ii)* सेंटी देब बर्मा बनाम श्रीमती कंचन प्रवाह देवी, एआईआर 1991 एससी 816 में प्रकाशित;

*(iii)* भाऊराव शंकर लोखंडे और अन्य बनाम. महाराष्ट्र राज्य और अन्य, एआईआर 1965 एससी 1564 में प्रकाशित;

*(iv)* कंवल राम और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश प्रशासन, एआईआर 1966 एससी 614 में प्रकाशित; और

(v) लिंगारी ओबुलम्मा बनाम एल. वेंकट रेड्डी और अन्य ने AIR 1979 SC 848 में प्रकाशित।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना और संहिता की धारा 156(3) के तहत शिकायत सहित, सुजाराम और श्रीमती सयारी के संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज बयानों सहित रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

10. जहां तक निचली अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता के मामले का प्रश्न है, शिकायत के पैरा संख्या 7 से 11 में, शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से दावा किया है कि

याचिकाकर्ता ने 07.05.2017 को लीला पुत्री मांगीलाल निवासी कोषाणा के साथ विवाह किया है। सुजाराम का बयान भी ऐसा ही है, जिन्होंने संहिता की धारा 161 के तहत अपने बयान में विशेष रूप से दावा किया है कि याचिकाकर्ता (शैलेंद्र) ने 07.05.2017 को लीला पुत्री मांगीलाल के साथ विवाह किया है जो **कोषाना की निवासी** है। उसी तर्ज पर, श्रीमती. सयारी ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने लीला से दूसरी शादी की थी।

11. इस न्यायालय की राय में, न तो शिकायत में और न ही उपर्युक्त गवाहों के बयान में यह दावा किया गया है कि विवाह कोशाना में संपन्न हुआ था। यह स्थिति होने के कारण, याचिकाकर्ता का तर्क है कि जांच का अधिकार क्षेत्र भोपालगढ़ पुलिस स्टेशन के पास है, जो टिकाऊ नहीं है।

12. इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत दंडनीय दहेज आदि के आरोप लगाते हुए व्यापक शिकायत दर्ज की थी, साथ ही द्विविवाह का आरोप भी लगाया था।

13. जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत आरोपों का प्रश्न है, महिला पुलिस स्टेशन, जोधपुर पूर्व का क्षेत्राधिकार है और धारा 156(1) के साथ पठित धारा 184 के साथ पठित धारा 220 के आधार पर, एक बार जब कई अपराधों का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की जाती है, तो इसे दो भागों में नहीं लिया जा सकता है और मामले की जांच कोशाना गांव के किसी पुलिस अधिकारी को करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है, भले ही यह पाया गया हो कि शादी कोशाना में हुई थी। इसलिए, महिला पुलिस थाना, जोधपुर पूर्व द्वारा की गई जांच और जोधपुर में निचली अदालत द्वारा लिया गया संज्ञान क्षेत्राधिकार के बिना नहीं कहा जा सकता है।

14. जहां तक श्री चौधरी के दूसरे तर्क का संबंध है कि उनके द्वारा उद्धृत माननीय उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों के आलोक में, शिकायतकर्ता को तारीख देते समय यह सिद्ध करना आवश्यक है कि विवाह *सप्तपदी* या अन्यथा जहां विवाह का स्थान संपन्न हुआ था। यह कहना पर्याप्त है कि वे सभी निर्णय उस स्थिति से संबंधित हैं जब मुकदमा समाप्त हो गया था, जबकि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता उस चरण में इस न्यायालय में पहुंचा है जब आरोप तय हो चुके हैं, और मुकदमा अभी बाकी है शुरू करने के लिए; अभी गवाहों के बयान आना बाकी है.

15. इसके अलावा, शिकायत में दावा कम से कम दो गवाहों के बयानों से समर्थित है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता ने 07.05.2017 को लीला पुत्री मांगीलाल के साथ दूसरी शादी की है।

16. यह ध्यान रखना उचित है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 पहली शादी के अस्तित्व के दौरान विवाह करने के कार्य को अपराध मानती है। जहां तक विवाह संपन्न हुआ, वह स्थान भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के संबंध में महत्वहीन है। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 समय और स्थान तटस्थ है। इसलिए, न तो विवाह का समय और न ही स्थान भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराध माना जा सकता है। यदि याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो आजकल गंतव्य शादियों के युग में, जो कभी-कभी विदेशों में आयोजित की जाती हैं, पुलिस अधिकारी जांच करने में असमर्थ होंगे, भले ही अंतिम पीड़ित या यहां तक कि आरोपी भी अधिकार क्षेत्र के भीतर रह रहे हों।

17. याचिकाकर्ता का यह तर्क कि शिकायत में शादी की तारीख और *सप्तपदी* आदि के बारे में दावा नहीं किया गया है, निराधार है। शिकायत में किए गए दावे और साक्ष्य याचिकाकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराध करने के आरोप में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त हैं। इस समय, न्यायालय श्री चौधरी द्वारा उद्धृत निर्णयों के आलोक में याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार नहीं कर सकता है।

18. जो सख्त सिद्धांत किसी सिविल मुकदमे में वादपत्र पर लागू होते हैं, वे किसी अपराध की सुनवाई के लिए संहिता की धारा 156(3) के तहत दायर शिकायत पर लागू नहीं होते हैं। कुछ हद तक संहिता की धारा 161 के तहत दिए गए गवाहों के बयानों (जो 'साक्ष्य' नहीं हैं) के बारे में विधिक स्थिति समान है, क्योंकि अनुमेय सुधार के अधीन, अभियोजन पक्ष और गवाह संहिता की धारा 161 के तहत शिकायत और बयानों के साथ मिलकर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं।

19. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, इस न्यायालय को याचिका में कोई योग्यता और तथ्य नहीं मिला, जिसके लिए याचिका अपास्त कर दी गई।

20. यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष

प्रथम दृष्टया अधिकार क्षेत्र और आरोप तय करने से संबंधित याचिकाकर्ता के तर्कों से संबंधित निष्कर्ष हैं। मामले का अंतिम निर्णय करते समय निचली अदालतपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निचली अदालत अपना स्वतंत्र, प्रत्यक्ष और मौखिक दृष्टिकोण अपनाएगा।

21. स्थगन आवेदन भी निस्तारित किया जाता है।

(दिनेश मेहता), न्यायमूर्ति

180-Arvind/-

**टिप्पणी:** इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।